न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 76/2024
दायरी दिनांक 29.08.2024
किशोर कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी नूआं तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)– अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 22.05.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक की जमीन हाल ख. नं. 194, 195, 196, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 249, 250, 251, 252, 258, 259, 260, कुल किता 16 कुल रकबा 13.0800 हैक्टर सरहद ग्राम नुआं तहत तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू में स्थित है जिसमें 1/25 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार आवेदक है।आवेदक के शिक्षा से संबंधित दस्तावेजात में तथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि सभी दस्तावेजात में आवेदक के पिता का नाम रामेश्वर है लेकिन प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित जमीन की आवेदक के हक हिस्से की खातेदारी में आवेदक के पिता का नाम रमेशकुमार सहयन से दर्ज हो गया जबकि दस्तावेजात के मुताबिक सही रूप से रामेश्वर दर्ज होना चाहिये थे। आवेदक एक किसान व्यक्ति है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित जमीन के राजस्व रिकार्ड में आवेदक की सहखातेदारी में आवेदक के पिता का नाम रमेश कुमार दर्ज रहने से अवेदक किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता तथा ना ही किसी बैंक से ऋण ले सकता। उपरोक्त कारण से आवेदक के पिता नाम उक्त जमीन के राजस्व रिकार्ड में रमेश कुमार की जगह रामेश्वर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किय जाकर जमीन ख. नं. 194, 195, 196, 238, 239, 240, 241, 244 245, 249, 250, 251, 252, 258, 259, 260, कुल किता 16 कु रकबा 13.0800 हैक्टर सरहद ग्राम नुआं तहत तहसील मण्डावा जिला झुन्झ के राजस्व रिकार्ड में आवेदक के हक हिस्से की खातेदारी में आवेदक लात पिता का नाम रमेश कुमार की जगह रामेश्वर दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम नूआ्र के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता नः 225 में प्रार्थी का नाम किशोर पुत्र रमेश कुमार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी का नाम किशोर पुत्र रमेश कुमार के स्थान पर किशोर कमार पुत्र रामेश्वर किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया।वाके ग्राम नूआं के राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 225 में प्रार्थी का नाम किशोर कुमार पुत्र रमेश कुमार दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम किशोर कमार पुत्र रामेश्वर लाल है। अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

निर्णय

अतः ग्राम नूआं के खाता संख्या 225 में दर्ज किशोर कुमार पुत्र रमेश कुमार के स्थान पर किशोर कमार पुत्र रामेश्वर लाल कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।पालनार्थ तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा